संख्या-311/2016/4297जेएल/22-3-16-800(176)/2012

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
औरैया।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 13 अगस्त, 2016***

विषय- जिला कारागार, बाराबंकी के बंदी शेखर तिवारी पुत्र स्व0 कृष्ण कुमार तिवारी, निवासी-ककराही बाजार, थाना-दिवियापुर, जनपद-औरैया को पैरोल दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-563/जे0ए0-पैरोल/2016-17, दिनांक 12-08-2016 में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973(1974 का एक्ट संख्या-2) की धारा-432 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, बाराबंकी के बंदी शेखर तिवारी पुत्र स्व0 कृष्ण कुमार तिवारी, निवासी-ककराही बाजार, थाना-दिवियापुर, जनपद-औरैया को माता के त्रयोदशी संस्कार में शामिल होने हेतु **विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे के पैरोल पर पुलिस सुरक्षा में** कारागार से छोड़े जाने का आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ देते है कि बंदी पैरोल अवधि में शांति व्यवस्था बनाये रखेगा तथा पैरोल की अवधि समाप्त होने पर तत्काल जेल में वापस आ जायेगा।

2- बंदी को यह स्पष्ट कर दिया जाय कि यदि वह स्वीकृत पैरोल की अवधि समाप्त होने पर निर्धारित तिथि व समय पर जेल में वापस नही आता है तो उसके विरूद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह भविष्य में एक निश्चित अवधि अथवा सदा के लिए परिहार तथा पैरोल पाने का अधिकारी न होगा।

3- कृपया इस आदेश की प्राप्ति की सूचना तुरन्त दें।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-311/2016/4297जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
3- पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि **उक्त बंदी की विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायें।**
4- पुलिस अधीक्षक, औरैया।
5- अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी को इस आशय से प्रेषित की बंदी के पैरोल पर रिहा किये जाने तथा बंदी के द्वारा जेल में हाजिर होने के समय व तिथि से शासन तथा महानिरीक्षक, कारागार, उ0प्र0 को रेडियोग्राम द्वारा तत्काल अवगत कराये।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in